



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

## 10 वांछित/वारण्टी गिरफ्तार

दिनांक:-31.05.2022

पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक श्री आर.पी. सिंह द्वारा जनपद में वांछित/वारण्टियों की नियमानुसार गिरफ्तारी एवम् अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में थाना रामपुरकलां, सदरपुर, सकरन, हरगांव व मिश्रिख पुलिस टीम द्वारा विभिन्न स्थानों से 10 वांछित/वारण्टियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। विवरण निम्नवत है-

- थाना रामपुर कलां पुलिस द्वारा 01 वारण्टी गिरफ्तार:- थाना रामपुर कलां पुलिस टीम द्वारा वाद संख्या 51/17 धारा 125(3) दप्रसं में वारण्टी रिकू पुत्र जगदीश प्रसाद नि0 कैमा मजरा सरवा जलालपुर थाना रामपुरकलां जनपद सीतापुर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना सदरपुर पुलिस द्वारा 01 वारंटी गिरफ्तार: - थाना सदरपुर पुलिस टीम द्वारा वाद संख्या 228/03 धारा 354 भादवि में वारंटी ओमकार पुत्र रामप्रसाद निवासी ग्राम कपूरपुर थाना सदरपुर जनपद सीतापुर को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
- थाना सकरन पुलिस द्वारा 03 वांछित गिरफ्तार: - थाना सकरन पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 293/2022 धारा 379/411 भादवि व 3/28 TP ACT में वांछित 1.अनिल कुमार पुत्र अशोक कुमार यादव उर्फ उर्फ सुगल यादव निवासी ग्राम मुन्सीपुरवा मजरा उमराकलां थाना सकरन जनपद सीतापुर 2.कैलाश पुत्र रामपाल पासी निवासी ग्राम अरूवा मजरा बेनीसराय थाना लहरपुर जनपद सीतापुर 3.किशोरी पुत्र गंगू पासी निवासी ग्राम मदनापुर थाना सकरन जनपद सीतापुर को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
- थाना मिश्रिख पुलिस द्वारा 04 वांछित गिरफ्तार: - थाना मिश्रिख पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 264/22 धारा 147/323/504/506/308 भादवि व 7 सीएलए एक्ट से

संबंधित 04 अभियुक्त 1.परवेज पुत्र कामिल 2. सावेज पुत्र कामिल 3.सुएव पुत्र कामिल 4.मोईन पुत्र मोबीन नि0गण मो. थोक थाना मिश्रिख सीतापुर को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

➤ **थाना हरगांव पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार:** - थाना हरगांव पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 289/22 धारा 324/504/506/307 भादवि से संबंधित अभियुक्त सरोज पुत्र जगधर नि0 सुकईपुरवा थाना नीमगांव जनपद खीरी को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।





# एगांव, जनपद - रस

